षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-21 | बुधवार, दिनांक- 29 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.24 बजे अप० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 29 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-ग-2073, स्थगित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 171 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री जिवेश कुमार, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री ललन पासवान एवं श्री तारकिशोर प्रसाद से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(1) श्री सरोज यादव
(2) श्रीमती समता देवी
(3) श्री विनोद प्रसाद यादव
(4) श्री अमित कुमार
(5) श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी
(6) श्री राजेश कुमार
(7) श्री लाल बाबू राम
(8) श्री शमीम अहमद
(9) श्री अचमित ऋषिदेव
(10) श्री बशिष्ठ सिंह
(11) श्री समीर कुमार महासेठ
(12) श्री मुन्द्रिका सिंह यादव

(13) श्री सुदामा प्रसाद
(14) श्री महबूब आलम
(15) श्री सत्यदेव राम
(16) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(17) श्री सुबोध राय
(18) श्री प्रहलाद यादव
(19) श्री नीरज कुमार
(20) श्री यदुवंश कुमार यादव
(21) श्री राजेन्द्र कुमार
(22) श्री फराज फातमी

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[5] आसन की घोषणा :-

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से शून्यकाल की सूचनाओं के संबंध में कहा गया कि शून्यकाल की सूचनाओं में शब्दों की सीमा का ध्यान रखा जाय तथा इसका विषय हाल में घटित घटनाओं तक केन्द्रित हो तो श्रेस्यकर रहेगा ।

तत्पश्चात सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.45 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) **बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'सिद्धान्त पर विमर्श' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'जनमत जानने' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अनिल सिंह द्वारा विधेयक के खंड-4 में दिये गये संशोधन को सदन की सहमति से वापस लिया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार एवं श्री सत्यदेव राम द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक विधेयक के सम्बन्ध में पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर कुछ आशंका व्यक्त की गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा नेता विरोधी दल की आशंकाओं का निराकरण करते हुए विस्तार से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'सिद्धान्त पर विमर्श' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'जनमत जानने' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय नेता, विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया कि इस विषय में पड़ोसी राज्यों से भी जानकारी लेकर विधेयक लाया जाए ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तार से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-48 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-30 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-29.03.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।